भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1112
(13 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के तहत सभी को आवास

1112. श्रीमती अपरूपा पोद्दार:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के विजन के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (पीएमएवाई-जी) शुरू की थी और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) योजना के शुरू से निर्धारित और प्राप्त किए गए वास्तविक और वित्तीय वार्षिक लक्ष्य क्या हैं और आने वाले वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;
(ग) योजना के तहत निर्मित/निर्मित किए जा रहे आवासों के स्थान और आकार संबंधी विनिर्देश क्या हैं;
(घ) योजना के तहत अभी तक पश्चिम बंगाल राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने आवासों को स्वीकृत , निर्मित किया गया है और लक्षित लाभार्थियों को आवंटित किया गया है;
(ड.) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार कुल कितने लाभार्थियों को उक्त आवास आवंटित किए गए हैं;
(च) क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों की गुणवत्ता और अतिक्रमण के बारे में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या ठोस उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्का मकान बनाने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए 01 अप्रैल, 2016 से प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) कार्यान्वित कर रहा है। पीएमएवाई-जी की शुरूआती समय-सीमा 2022 थी जिसे बढ़ाकर अब मार्च, 2024 कर दिया गया है। 2.95 करोड़ मकान के समग्र लक्ष्य में से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2.92 करोड़ मकानों का लक्ष्य आवंटित किया गया है जिनमें से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 2.49 करोड़ मकान लाभार्थियों को स्वीकृत किए गए हैं और दिनांक 07.12.2022 तक 2.10 करोड़ मकान बनाए जा चुके हैं।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण पात्र लाभार्थियों की उपलब्धता, पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की वार्षिक कार्य योजना और प्रस्ताव के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ हुई चर्चा के आधार पर किया जाता है। वार्षिक लक्ष्यों के आवंटन के बाद स्थायी प्रतीक्षा सूची/अंतिम आवास+ सूची में पात्र लाभार्थियों की संख्या के आधार पर आगे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न जिलों/ब्लॉकों/गांवों में लाभार्थियों के लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक लक्षित और निर्मित मकान तथा जारी किए गए केंद्रीय अंश का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(इकाई संख्या में और रुपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य	निर्मित मकान	जारी किया गया केंद्रीय अंश
2016-17	42,25,992	2,115	16,058.00
2017-18	31,50,162	38,15,953	29,889.86
2018-19	25,12,968	44,72,392	29,331.06
2019-20	57,95,150	21,28,843	27,305.84
2020-21	43,33,166	33,99,499	36,857.93
2021-22	71,50,439	42,39,483	26,237.24
2022-23	20,97,151	26,99,377	17,497.90

(ग): पीएमएवाई-जी के अंतर्गत एक मकान का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर है जिसमें स्वच्छ रसोई के लिए विशेष स्थान भी शामिल है।

(घ): पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों , स्वीकृत और निर्मित मकानों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ड.): अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को आवंटित मकानों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(च) और (छ): पीएमएवाई-जी के अंतर्गत प्रशासन के विभिन्न स्तरों अर्थात ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र बनाए गए हैं। शिकायतकर्ता की संतुष्टि के लिए शिकायतों का निवारण करने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर राज्य सरकार का एक अधिकारी पदनामित किया जाना होता है। प्रत्येक स्तर पर पदनामित किया जाने वाला अधिकारी शिकायत की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर शिकायत का निवारण करने के लिए जिम्मेदार होता है।

माननीय संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों और आम जनता द्वारा भेजे गए अनियमितताओं के मामलों को टिप्पणियों और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार के समक्ष उठाया जाता है।

जनता द्वारा केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल (pgportal.gov.in) पर शिकायतें दर्ज करने की प्रक्रिया भी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त शिकायतों को उनके निवारण के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को भेजा जाता है।

पीएमएवाई-जी की शुरूआत अर्थात 01.04.2016 से 08.12.2022 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय में सीपीजीआरएएमएस पर पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में अनियमितताओं से संबंधित कुल 1,451 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। चूंकि राज्य सरकार पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित करती है , इसलिए इन शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई करने और उसकी सूचना इस मंत्रालय को देने के लिए राज्य को भेज दिया गया है। 1,451 शिकायतों में से 1,413 शिकायतों का निवारण किया जा चुका है।

* * *

अनुबंध-I

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सभी के लिए आवास के संबंध में लोक सभा में दिनांक13.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1112 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(इकाई संख्या में)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत मकान	निर्मित मकान
1	अरुणाचल प्रदेश	38,384	35,987	9,818
2	असम	20,84,070	14,57,835	7,03,332
3	बिहार	38,62,734	36,95,888	33,47,538
4	छत्तीसगढ़	11,76,150	10,97,095	8,28,912
5	गोवा	1,707	248	140
6	गुजरात	4,49,167	4,32,860	3,99,237
7	हरियाणा	30,789	28,242	22,566
8	हिमाचल प्रदेश	15,483	15,383	11,195
9	जम्मू और कश्मीर	2,01,633	1,95,263	1,13,314
10	झारखंड	16,03,268	15,82,899	14,14,178
11	केरल	42,212	34,877	24,597
12	मध्य प्रदेश	37,89,400	37,54,566	30,87,221
13	महाराष्ट्र	15,05,983	12,98,862	9,37,228
14	मणिपुर	46,166	36,454	18,470
15	मेघालय	80,848	65,155	34,327
16	मिजोरम	20,518	18,373	6,167
17	नागालैंड	24,775	22,351	5,235
18	ओडिशा	26,95,837	18,36,350	17,13,224
19	पंजाब	41,117	38,680	24,506
20	राजस्थान	17,33,959	17,24,373	15,42,723
21	सिक्किम	1,409	1,371	1,087
22	तमिलनाडु	8,17,439	7,61,286	4,59,702
23	त्रिपुरा	2,82,238	2,49,020	1,98,662

24	उत्तर प्रदेश	34,78,718	26,49,795	25,95,313
25	उत्तराखंड	47,654	31,649	27,514
26	पश्चिम बंगाल	46,18,847	34,68,683	33,88,963
27	अण्डमान और निकोबार	1,631	1,347	1,168
28	दादरा और नगर हवेली	6,899	5,633	2,926
29	दमन और दीव	53	53	44
30	लक्षद्वीप	-	-	-
31	पुदुचेरी*	2,56,270	1,78,865	46,726
32	आंध्र प्रदेश	3,07,746	1,61,873	1,01,676
33	कर्नाटक	-	-	-
34	तेलंगाना*	1,992	1,906	1,429
	कुल	**2,92,65,028**	**2,48,83,175**	**2,10,69,138**

* पुदुचेरी और तेलंगाना पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं।

अनुबंध-II

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सभी के लिए आवास के संबंध में लोक सभा में दिनांक13.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1112 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(इकाई संख्या में)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत मकान		निर्मित मकान	
		अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति
1	अरुणाचल प्रदेश	34,408	0	9,355	0
2	असम	1,89,484	110714	98728	46150
3	बिहार	98,558	7,31,105	81,640	5,84,679
4	छत्तीसगढ़	442968	2,13,087	3,15,974	1,69,701
5	गोवा	80	12	59	4
6	गुजरात	2,04,499	25,963	1,90,840	22,353
7	हरियाणा	127	13,889	56	9,985
8	हिमाचल प्रदेश	2,204	5,941	1,647	4,061
9	जम्मू और कश्मीर	72,489	24,702	34,488	13,070
10	झारखंड	5,35,446	2,83,068	4,57,895	2,29,254
11	केरल	2,907	11,728	1,467	6,749
12	मध्य प्रदेश	14,15,713	6,68,545	11,43,618	5,42,833
13	महाराष्ट्र	4,17,372	1,99,619	2,97,888	1,15,713
14	मणिपुर	23,496	1,135	10,946	459
15	मेघालय	60,509	365	32,692	143
16	मिजोरम	18,293	15	6,155	0
17	नागालैंड	22,051	1	5,076	0
18	ओडिशा	6,30,369	3,29,767	5,89,314	3,00,728
19	पंजाब	125	27,861	19	18,750
20	राजस्थान	6,23,262	3,81,524	5,38,856	3,14,140
21	सिक्किम	641	138	480	82
22	तमिलनाडु	25,803	3,47,804	17,577	1,85,016
23	त्रिपुरा	1,09,498	47,009	82,802	32,480

24	उत्तर प्रदेश	48,845	11,82,778	45,984	11,53,182
25	उत्तराखंड	2,641	13,978	2,346	11,529
26	पश्चिम बंगाल	3,20,344	10,61,583	3,07,022	10,42,957
27	अण्डमान और निकोबार	11	0	8	0
28	दादरा और नगर हवेली	5,552	8	2,887	3
29	दमन और दीव	45	0	45	0
30	लक्षद्वीप	-	-	-	-
31	पुदुचेरी*	36,956	65,879	7,100	13,151
31	आंध्र प्रदेश	27,614	43,228	20,447	31,785
33	कर्नाटक	-	-	-	-
34	तेलंगाना*	1,899	0	1,422	0
	कुल	**53,74,209**	**57,91,446**	**43,04,833**	**48,48,957**

* पुदुचेरी और तेलंगाना पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं।

* * *